अमरिक सिंह और अन्य बनाम चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र अपने प्रधान सचिव के माध्यम से और

321

अन्य (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

विनोद एस. भारद्वाज से पहले, जे.

अमरिक सिंह और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र अपने प्रधान सचिव और अन्य प्रत्यर्थी के माध्यम से

2021 का सीडब्ल्यूपी No.26747

19 दिसंबर, 2023

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226,15 (3), 39 (ई), 39 (एफ), 45,47-हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956-एस. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13-किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015-एस. एस.-2,3,38,56,57,63-किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम 2016, आर. एल. 3-द एडॉप्शन रूल्स 2017-आर. एल. 5-द एडॉप्शन रेगुलेशन 2017-याचिकाकर्ता संख्या 3, नाबालिग, मई 2020 में प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा बलात्कार किया गया, गर्भावस्था का पता चला, जिससे चिकित्सा समाप्ति असुरक्षित हो गई-बच्ची का जन्म आई. डी. 1 पर हुआ था। जैविक माता-पिता के पास कम वित्तीय साधन हैं-बच्चा अवांछित-गोद लेने के लिए बच्चे की देखभाल करने में नाबालिग मां की असमर्थता के कारण-याचिकाकर्ता संख्या 4 और 5, स्थिति से अवगत, आनुवंशिक विकारों के कारण अपने बच्चों की मृत्यु और स्वस्थ जैविक बच्चे पैदा करने में असमर्थता के कारण बच्चे को गोद लेने की इच्छा व्यक्त की-गोद लेने का विलेख 07.062021 पर निष्पादित किया गया था, लेकिन उप-पंजीयक द्वारा पंजीकरण से इनकार कर दिया गया था, जैविक पिता (प्रतिवादी संख्या 4) से सहमति के अभाव में, 20 साल की सजा काट रहे एक दोषी बलात्कारी-याचिकाकर्ताओं ने प्रतिनिधित्व दायर किया-बिना स्वीकार किए। तर्क, गोद लेने के विलेख के इनकार और पंजीकरण को रद्द करने की मांग करने वाली वर्तमान याचिका को प्रेरित करना-जैविक पिता (एक दोषी बलात्कारी) से सहमति प्राप्त नहीं करने के आधार पर गोद लेने के विलेख को पंजीकृत करने के लिए उप-पंजीयक का इनकार अन्यायपूर्ण-याचिकाकर्ताओं के साथ ढाई साल से अधिक समय से रह रहा बच्चा किसी और को नहीं बल्कि उन्हें माता-पिता के रूप में मान्यता देता है। स्वस्थ बच्चे पैदा करने में असमर्थ डीएनए प्रोफाइलिंग के आधार पर याचिकाएं-20 साल की सजा काट रहे जैविक पिता को बच्चे के लिए प्यार और स्नेह होने की संभावना नहीं है-समाज कल्याण विभाग, महिला और बाल विकास केंद्र शासित प्रदेश और जिला बाल संरक्षण इकाई, मोहाली की रिपोर्ट। 2015 के अधिनियम, 2015 की धारा 2 (42) के संदर्भ में विचाराधीन बच्चे को 'अनाथ' माना जा सकता है, जिसे 1956 के अधिनियम पर प्राथमिकता दी गई है क्योंकि यह 322 है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

विशेष अधिनियम-2015 के अधिनियम की धारा 38 के संदर्भ में विस्तृत रिपोर्ट को तथ्यों के तहत छूट दी गई है-सर्वोच्च महत्व बच्चे का कल्याण और सर्वोत्तम हित है, जो गोद लेने वाले माता-पिता की क्षमता और बच्चे के लिए एक सुरक्षित और पोषण वातावरण प्रदान करने की इच्छा को पहचानते हुए महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षात्मक उपायों का समर्थन करने वाले संवैधानिक प्रावधानों और वैधानिक कानूनों द्वारा समर्थित है-उप-पंजीयक ने समयबद्ध तरीके से गोद लेने के विलेख को पंजीकृत करने का निर्देश दिया। याचिका की अनुमति दी गई। यह अभिनिर्धारित किया गया कि जिला बाल संरक्षण इकाई, मोहाली के साथ-साथ जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने भी याचिकाकर्ता संख्या 4 और 5 को उक्त बच्चे को गोद लेने के कारण बच्चे के सर्वोत्तम हित से समझौता किए जाने के संबंध में कोई आशंका नहीं जताई। इसके विपरीत, यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता संख्या 4 और 5 (गोद लेने वाले माता-पिता) द्वारा बच्चे की देखभाल की जा रही है और वे नाबालिग आर. एक्स. एक्स. एक्स. सहित अपने सभी बच्चों की अच्छी देखभाल कर रहे हैं। निदेशक, समाज कल्याण, महिला और बाल विकास, यू. टी. चंडीगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त होने और जिला बाल संरक्षण अधिकारी, एस. ए. एस. नगर (मोहाली) द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह समीचीन और उपयुक्त माना जाता है कि बाल कल्याण समिति की विस्तृत प्रक्रिया और रिपोर्ट को छूट दी जाए। इस न्यायालय को इस समय कोई आशंका नहीं है और वह जिला बाल संरक्षण अधिकारी, एस. ए. एस. नगर (मोहाली) द्वारा प्रस्तुत और विभाग द्वारा भेजी गई रिपोर्ट से संतुष्ट है। विचाराधीन बच्चे यानी आर. एक्स. एक्स. एक्स. को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (42) के साथ खंड 2 (1) के तहत 'अनाथ' बच्चा माना जा सकता है क्योंकि उसका कानूनी अभिभावक इच्छुक नहीं है और बच्चे की देखभाल करने में सक्षम नहीं है। याचिकाकर्ता संख्या 3 अर्थात माँ को हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अनुसार कानून के संचालन द्वारा कानूनी अभिभावक के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, 1956 के प्रावधान भी धारा 9 (5) (आई. ए.) के अनुसार गोद लेने में बच्चे को देने के लिए आवश्यक ऐसे प्रभावी कदम उठाने के लिए एक अभिभावक के अधिकार को मान्यता देते हैं। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 से 3 भी बच्चे की देखभाल करने वाले अभिभावक की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम, 1956 हालांकि गोद लेने को नियंत्रित करने वाला एक क़ानून है, हालाँकि, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 कानून के साथ संघर्ष में या देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता में किशोर/बच्चों के मामलों और चिंताओं से संबंधित है। धारा 38 (3) विशेष रूप से यौन उत्पीड़न से पैदा हुए बच्चों से संबंधित है। उपरोक्त धारा एक गैर-अस्थाई खंड के साथ शुरू होती है जो इसे किसी भी अन्य क़ानून पर एक अति-प्रभावी प्रभाव देती है।

अमरिक सिंह और अन्य बनाम चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र अपने प्रधान सचिव के माध्यम से

323

अन्य (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

(पैरा 25) ने आगे कहा कि चूंकि बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने के मुद्दे की पहले ही जांच की जा चुकी है और फैसला सुनाया जा चुका है, इसलिए मेरी राय है कि वर्तमान याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए। (पैरा 26) ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी सं. 3-दस्तावेजों के उप-पंजीयक, चंडीगढ़ को निर्देश दिया जाता है कि वह जैविक पिता से सहमति की कमी और/या देरी के संबंध में कोई और आपत्ति (ओं) उठाए बिना और उक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर समयबद्ध तरीके से याचिकाकर्ता सं. 4 और 5 को गोद लेने में नाबालिग आर. एक्स. एक्स., जिसका जन्म 02.03.2021 पर हुआ है, को दिनांकित 07.06.2021 दत्तक विलेख दर्ज करे।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

पंजीकरण के लिए।

विजय कुमार जिंदल, वरिष्ठ अधिवक्ता-न्यायमित्र पंकज गौतम, अधिवक्ता के साथ। प्रत्यर्थी संख्या 4 के लिए कोई नहीं।

(2) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता संख्या 3 का मई 2020 के महीने में प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा बलात्कार किया गया था जब वह 13 वर्ष की थी। कथित प्रतिवादी संख्या 4 ने याचिकाकर्ता संख्या 3 (नाबालिग) को धमकी दी थी कि अगर उसने बलात्कार के बारे में किसी को बताया तो वह उसे मार देगा। डर के मारे वह उक्त घटना के बारे में किसी को नहीं बता सकी। हालाँकि, उसके पेट में लगातार दर्द हो रहा था, जिसके लिए उसके माता-पिता उसे पीजीआई ले गए, जहाँ यह बताया गया कि वह बलात्कार के परिणामस्वरूप गर्भवती थी। पूछताछ किए जाने पर, याचिकाकर्ता संख्या 3 ने अपने माता-पिता को सूचित किया कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया था और धमकी के बारे में बताया गया था। तत्काल कार्रवाई की गई और मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (3) और 506 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत अपराध करने के लिए पुलिस स्टेशन सेक्टर 19, चंडीगढ़ में प्राथमिकी दर्ज की गई। उक्त मामला अब प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ दोषसिद्धि के फैसले में समाप्त हो गया है और 20 साल की सजा सुनाई गई है। (3) चूँकि गर्भावस्था के संबंध में जानकारी केवल अंतिम चरण में प्राप्त की गई थी, इसलिए इसे अमरिक सिंह और अन्य बनाम चंडीगढ़ के संघ क्षेत्र के लिए इसके प्रधान सचिव के माध्यम से चिकित्सकीय रूप से असुरक्षित माना गया था।

325

अन्य (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

(4) याचिकाकर्ता नंबर 4 और 5 की शादी 1997 से हुई है और उनका एक बेटा है जिसका नाम जगतर सिंह है जिसकी उम्र मामला दर्ज करने के समय 11 साल थी। वह 'स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी' के आनुवंशिक विकार से पीड़ित हैं और उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम 'मेहर' है जो सरोगेसी की प्रक्रिया के माध्यम से 19.11.2021 पर पैदा हुई थी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का आनुवंशिक विकार एक बिगड़ा हुआ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और सीमित संज्ञानात्मक क्षमता की ओर ले जाता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता संख्या 4 के भ्रूण डी. एन. ए. में कुछ असामान्यताओं के कारण, यह अत्यधिक संभावना है कि याचिकाकर्ता संख्या 5 का भ्रूण भी रीढ़ की हड्डी के पेशीय शोष से प्रभावित है और उनसे पैदा होने वाले किसी भी जैविक बच्चे के उपरोक्त बीमारी से पीड़ित होने की संभावना है। उक्त डी. एन. ए. विश्लेषण रिपोर्ट की एक प्रति (अनुलग्नक पी-1) के रूप में संलग्न की गई है। उपरोक्त याचिकाकर्ता संख्या 4 और 5 के पहले दो बच्चे थे अर्थात एक लड़की जिसका नाम सिमरत और एक लड़का जिसका नाम गुरनूर था, जो 'स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी' के आनुवंशिक विकार से पीड़ित थे। गंभीर निमोनिया के कारण 7 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले 21.12.2005 पर श्वसन विफलता के कारण लड़की का निधन हो गया और 12 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले 20.09.2013 पर कार्डियक अरेस्ट के कारण बेटे गुरनूर का भी निधन हो गया। वर्तमान याचिका के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियां भी संलग्न की गई हैं। सरोगेसी के माध्यम से बच्चे की कल्पना किए जाने के बावजूद, उसे डी. एन. ए. विकार विरासत में मिलने की संभावना है और उसके जीवित रहने की संभावना कम है। (5) कि याचिकाकर्ता संख्या 3 (नाबालिग बलात्कार पीड़ित) के माता-पिता (याचिकाकर्ता Nos.1 और यहाँ 2 होने के नाते) एक गुरुद्वारे में सेवार हैं। याचिकाकर्ता संख्या 4 और 5 ने उपरोक्त घटना से अवगत होने के बाद, अपनी भलाई के साथ-साथ 326 की भलाई के लिए 02.03.2021 पर पैदा हुई लड़की को गोद लेने की इच्छा व्यक्त की।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(6) चाहे जो भी हो, दत्तक ग्रहण विलेख दिनांक 07.06.2021 प्रत्यर्थी सं. 3 अर्थात दस्तावेजों के उप-पंजीयक, चंडीगढ़ को पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुसार पंजीकरण के लिए <आई. डी. 2 पर आर. एक्स. एक्स. के जैविक पिता यानी अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 4 की सहमति के बिना प्रस्तुत किया गया था, जो उपरोक्त बलात्कार मामले में दोषसिद्धि के कारण सजा काट रहा है। दस्तावेजों के उप-पंजीयक, चंडीगढ़ को उन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के बारे में सूचित किए जाने के बावजूद जिसमें बच्चे का जन्म हुआ था और याचिकाकर्ता संख्या 3 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4 की सहमति के बिना गोद लेने के विलेख को निष्पादित किया जा रहा है, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने जैविक पिता से सहमति के अभाव में उक्त गोद लेने के विलेख को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं द्वारा 16.08.2021 पर उप-पंजीयक को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, हालांकि, इसे बिना कोई कारण बताए और याचिकाकर्ताओं को निर्देश देते हुए अस्वीकार कर दिया गया था कि उन्हें आवश्यक के लिए सक्षम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। कोई अन्य उपाय न होने के कारण याचिकाकर्ताओं ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है। (7) दिनांक 1 के आदेश के अनुसार, श्री वी. के. जिंदल, अधिवक्ता को इस मामले में न्यायालय की सहायता के लिए न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ताओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में यू. टी. चंडीगढ़ के समाज कल्याण विभाग से एक रिपोर्ट भी मांगी गई थी, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि क्या याचिकाकर्ता संख्या 4 और 5 को गोद लेने में बच्चे को देना बच्चे के सर्वोत्तम हित में होगा या नहीं। प्रतिवादी सुश्री पालिका अरोड़ा, निदेशक, समाज कल्याण, महिला और बाल विकास, चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से एक स्थिति रिपोर्ट दायर की गई है, जिसके अनुसार, याचिकाकर्ता संख्या 4 और 5 की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सत्यापन किया गया है और उक्त याचिकाकर्ता अमरिक सिंह और अन्य बनाम चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र इसके प्रधान सचिव और अन्य के माध्यम से।

327

अन्य (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

(8) पक्षों को विस्तार से सुना गया है और उनकी सक्षम सहायता से दस्तावेजों का अध्ययन किया गया है। (9) मामले में आगे बढ़ने से पहले, विभिन्न वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक होगा जो संरक्षकता और गोद लेने को निर्धारित करते हैं और उनसे निपटते हैं। प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को निम्नानुसार निकाला गया हैः

XXX XXX XXX अनुच्छेद 45-"राज्य सभी बच्चों को छह वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ”

328

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

XXX XXX

XXX

(ख) इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू कोई अन्य कानून का प्रभाव तब तक समाप्त हो जाएगा जब तक कि यह इस अधिनियम में निहित किसी भी प्रावधान के साथ असंगत है। 6. एक हिंदू नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक।

— अमरिक सिंह और अन्य बनाम चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र अपने प्रधान सचिव के माध्यम से और

329

अन्य (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

(ख) यदि उसने एक संन्यासी (वानप्रस्थ) या एक तपस्वी (यति या संन्यासी) बनकर पूरी तरह से और अंत में दुनिया का त्याग कर दिया है। स्पष्टीकरण। —इस खंड में, "पिता" और "माँ" अभिव्यक्तियों में सौतेले पिता और सौतेली माँ शामिल नहीं हैं। XXXX

XXXX

XXXX

(क) नाबालिक की अचल संपत्ति के किसी भी हिस्से को बंधक या शुल्क, या बिक्री, उपहार, विनिमय या अन्यथा हस्तांतरण; या (ख) ऐसी संपत्ति के किसी भी हिस्से को पांच साल से अधिक की अवधि के लिए या उस तारीख से एक साल से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर देना जिस दिन नाबालिग वयस्क होगा।

330

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(ख) न्यायालय प्रक्रिया का पालन करेगा और उसके पास उस अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (2), (3) और (4) में निर्दिष्ट शक्तियां होंगी; और (ग) इस धारा की उप-धारा (2) में उल्लिखित अधिनियमों में से किसी को भी करने के लिए स्वाभाविक अभिभावक को अनुमति देने से इनकार करने वाले न्यायालय के आदेश से उस न्यायालय में अपील की जाएगी, जिसमें उस न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ आम तौर पर अपील की जाती है। (6) इस धारा में "न्यायालय" से नगर सिविल न्यायालय या जिला न्यायालय या संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 (1890 का 8) की धारा 4ए के तहत सशक्त न्यायालय अभिप्रेत है, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अचल संपत्ति, जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, स्थित है और जहां अचल संपत्ति एक से अधिक ऐसे न्यायालय की अधिकारिता के भीतर स्थित है, उसका अर्थ है वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति का कोई भी हिस्सा स्थित है।

XXXX

XXXX

XXXX

13. नाबालिग का कल्याण सर्वोपरि विचार होना चाहिए। — (1) अदालत द्वारा किसी हिंदू नाबालिग के अभिभावक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या घोषणा में, नाबालिग का कल्याण सर्वोपरि विचार होगा।

अमरिक सिंह और अन्य बनाम चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र अपने प्रधान सचिव के माध्यम से

331

अन्य (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

((iv) गोद लेना इस अध्याय में उल्लिखित अन्य शर्तों के अनुपालन में किया जाता है। XXXXX

XXXXX

XXXXX

(3) \* \* \* \* \* (4) जहां पिता और माता दोनों की मृत्यु हो गई है या उन्होंने पूरी तरह से और अंत में दुनिया का त्याग कर दिया है या बच्चे को छोड़ दिया है या सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा अस्वस्थ दिमाग का घोषित किया गया है या जहां 332

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

((ग) वह तब तक विवाहित नहीं हुआ है जब तक कि पक्षकारों पर कोई प्रथा या प्रयोग लागू न हो जो विवाहित व्यक्तियों को गोद लेने की अनुमति देता हो। (iv) उसने पंद्रह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, जब तक कि पार्टियों पर कोई प्रथा या उपयोग लागू नहीं होता है जो पंद्रह वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्तियों को गोद लेने की अनुमति देता है।

अमरिक सिंह और अन्य बनाम चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र अपने प्रधान सचिव के माध्यम से

333

अन्य (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, - (1) "परित्यक्त बच्चे का अर्थ है अपने जैविक या दत्तक माता-पिता या अभिभावकों द्वारा परित्यक्त एक बच्चा, जिसे उचित जांच के बाद समिति द्वारा परित्यक्त घोषित किया गया है;

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

((vi) जिसके माता-पिता नहीं हैं और कोई भी उसकी देखभाल करने को तैयार नहीं है, या जिसके माता-पिता ने उसे छोड़ दिया है या आत्मसमर्पण कर दिया है; या XXX XXX

XXX

((viii) जिसे यौन शोषण या अवैध कार्यों के उद्देश्य से दुर्व्यवहार, यातना या शोषण किया गया है या किया जा रहा है या होने की संभावना है; या XXX XXX

XXX

(i) जो जैविक या दत्तक माता-पिता या कानूनी अभिभावक के बिना है; या

((ii) जिसका कानूनी अभिभावक लेने के लिए तैयार नहीं है, या अमरिक सिंह और अन्य बनाम चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र इसके प्रधान सचिव के माध्यम से और

335

अन्य (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

धारा 38 किसी बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया। 1) अनाथ और परित्यक्त बच्चे के मामले में, समिति बच्चे के माता-पिता या अभिभावकों का पता लगाने के लिए सभी प्रयास करेगी और ऐसी जांच पूरी होने पर, यदि यह स्थापित हो जाता है कि बच्चा या तो अनाथ है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, या परित्यक्त है, तो समिति बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करेगीः

336

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों और प्राधिकरण द्वारा बनाए गए गोद लेने के नियमों के अनुसार, अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों के लिए परिवार का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए गोद लेने का सहारा लिया जाएगा। (2) किसी अन्य रिश्तेदार द्वारा किसी रिश्तेदार के बच्चे को गोद लेना, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, इस अधिनियम के प्रावधानों और प्राधिकरण द्वारा बनाए गए गोद लेने के नियमों के अनुसार किया जा सकता है।

अमरिक सिंह और अन्य बनाम चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र अपने प्रधान सचिव के माध्यम से

337

अन्य (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

धारा 63 गोद लेने का प्रभाव एक बच्चा जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गोद लेने का आदेश जारी किया जाता है, गोद लेने वाले माता-पिता की संतान बन जाएगी, और गोद लेने वाले माता-पिता बच्चे के माता-पिता बन जाएंगे, जैसे कि बच्चे का जन्म गोद लेने वाले माता-पिता से हुआ था, सभी उद्देश्यों के लिए, जिसमें निर्विकारता भी शामिल है, उस तारीख से प्रभावी है जिस पर गोद लेने का आदेश प्रभावी होता है, और ऐसी तारीख से उसके जन्म के परिवार में बच्चे के सभी संबंध टूट जाएंगे और गोद लेने वाले परिवार में गोद लेने के आदेश द्वारा बनाए गए संबंधों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगेः

338

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(vi) सुरक्षा का सिद्धांतः यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे कि बच्चा सुरक्षित है और देखभाल और सुरक्षा प्रणाली के संपर्क में रहते हुए किसी भी नुकसान, दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार के अधीन नहीं है, और अमरिक सिंह और अन्य बनाम चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र इसके मुख्य सचिव के माध्यम से और

339

अन्य (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

(xiii) स्वदेश वापसी और बहाली का सिद्धांतः किशोर न्याय प्रणाली में प्रत्येक बच्चे को जल्द से जल्द अपने परिवार के साथ फिर से एकजुट होने और उसी सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में बहाल होने का अधिकार होगा जिसमें वह इस अधिनियम के दायरे में आने से पहले था, जब तक कि ऐसी बहाली और प्रत्यावर्तन उसके 340 में नहीं है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(जोर दिया गया) XXX XXX "

(10) उपरोक्त के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 एक 'प्राकृतिक अभिभावक' को परिभाषित करता है और इसकी धारा 6 यह मान्यता देती है कि एक हिंदू नाबालिग यानी एक अवैध अविवाहित लड़की के संबंध में, माँ स्वाभाविक अभिभावक होगी। इसकी धारा 8 एक प्राकृतिक अभिभावक को उन सभी कार्यों को करने की शक्ति प्रदान करती है जो नाबालिग के लाभ के लिए या नाबालिग की संपत्ति की प्राप्ति, संरक्षण या लाभ के लिए आवश्यक, उचित और उचित हैं। इसलिए, नाबालिग का याचिकाकर्ता No.3-mother उक्त बच्चे का स्वाभाविक अभिभावक है, भले ही वह खुद नाबालिग हो। याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 याचिकाकर्ता संख्या 3 के स्वाभाविक संरक्षक हैं। धारा 8 एक अभिभावक को ऐसे सभी कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है जो नाबालिग की देखभाल और सुरक्षा के लिए आवश्यक और उचित हैं। उक्त अधिनियम यह भी आदेश देता है कि नाबालिग का कल्याण सर्वोपरि विचार का विषय होना चाहिए। (11) हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम, 1956 हिंदुओं के बीच गोद लेने और रखरखाव से संबंधित कानूनों को संहिताबद्ध करता है। उपरोक्त अधिनियम का उद्देश्य गोद लेने के कानून को सरल बनाना है। एक वैध गोद लेने की आवश्यकताएँ उसकी धारा 6 के तहत प्रदान की गई हैं, जो गोद लेने वाले व्यक्ति की क्षमता के साथ-साथ एक बच्चे को गोद देने और एक व्यक्ति को गोद लेने के लिए भी प्रदान करती है। बच्चे को गोद देने में सक्षम व्यक्ति को धारा 9 के तहत प्रदान किया गया है और यह निर्धारित करता है कि मां या पिता अमरिक सिंह और अन्य बनाम चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र के अलावा कोई अन्य व्यक्ति अपने प्रधान सचिव और

341

अन्य (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

या बच्चे के अभिभावक के पास बच्चे को गोद देने की क्षमता होगी। इसके लिए प्रावधान यह है कि इस तरह के अधिकार का प्रयोग उनमें से किसी के द्वारा दूसरे की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उनमें से एक ने दुनिया का त्याग नहीं कर दिया हो या हिंदू होने का दावा नहीं कर लिया हो या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे अस्वस्थ घोषित नहीं किया गया हो। इसके अलावा, धारा 9 (1) (ए) के तहत एक 'अभिभावक' को भी परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति या बच्चे या दोनों की देखभाल करने वाला व्यक्ति। धारा 9 दत्तक ग्रहण में बच्चे को देने के अभिभावक के अधिकार को भी मान्यता देती है। एक संयुक्त पठन यह स्थापित करेगा कि केवल एक अवैध बच्चे की माँ ही उसकी अभिभावक है और एक अभिभावक के अधिकार को हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम, 1956 के तहत स्वतंत्र रूप से मान्यता प्राप्त है। उक्त प्रावधानों को सार्थक रूप से पढ़ने से पता चलेगा कि कानून बच्चे को गोद देने के अभिभावक के स्वतंत्र अधिकार को मान्यता देता है और अभिभावक के मामले में, जैविक पिता की सहमति महत्वहीन हो जाएगी क्योंकि हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम, 1956 में 'या' अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। इसलिए, प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह के कार्य करने का अपना मौलिक अधिकार है-दूसरे को छोड़कर। गोद लेने में बच्चे को देने के अभिभावक अधिनियम पर एकमात्र रोक हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम, 1956 की धारा 9 (4) के तहत है। नाजायज बच्चे के मामले में मां के बाद ही पिता अभिभावक हो सकता है। इस प्रकार कानून एक अवैध बच्चे के पिता के बराबर कोई अधिकार प्रदान करने के लिए विस्तारित नहीं हुआ जैसा कि एक वैध बच्चे के पिता को प्रदान किया गया है। अवैध बच्चे के पिता की मान्यता, इसके विपरीत विधायी इरादे के बावजूद, वैधानिक जनादेश का उल्लंघन करने और माता की वैधानिक स्थिति के अधीन करने के बराबर होगी, ऐसे मामले में, हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, 1956 की धारा 6 (बी) की अनदेखी करते हुए और उसकी धारा 6 (ए) को ओवरराइडिंग प्रभाव देना। उक्त अधिनियम की धारा 11 में वैध गोद लेने की अन्य शर्तें निर्धारित की गई हैं। (12) इसके अलावा, संसद ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 को भी अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य उचित देखभाल, सुरक्षा, विकास, उपचार, सामाजिक पुनर्एकीकरण और बच्चों के सर्वोत्तम हित में मामलों के निपटान और प्रदान की गई प्रक्रियाओं के माध्यम से उनके पुनर्वास के माध्यम से उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित कानून में संशोधन करना था। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (1) में परिभाषित किया गया है कि एक 'परित्यक्त बच्चे' का अर्थ है, जिसे उसके जैविक/दत्तक माता-पिता/अभिभावकों द्वारा छोड़ दिया गया है और जिसे समिति द्वारा 'परित्यक्त' घोषित किया गया है। किशोर न्याय (342 की देखभाल और संरक्षण) की धारा 2 (9)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

बाल) अधिनियम, 2015 'बच्चे के सर्वोत्तम हित' को परिभाषित करता है जो बच्चे के बुनियादी अधिकारों और जरूरतों, पहचान और सामाजिक कल्याण आदि की पूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में किसी भी निर्णय का आधार बनाता है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (14) की उप-धाराएं (iv), (v) और (vi) देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे को परिभाषित करती हैं। उपर्युक्त उप-धाराओं के अनुसार, एक बच्चा, जिसके माता-पिता या अभिभावक अपनी देखभाल करने और अपनी सुरक्षा और कल्याण की रक्षा करने के लिए अयोग्य या अक्षम पाए जाते हैं, उसे देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाला बच्चा माना जाता है। इसमें एक ऐसा बच्चा भी शामिल है जिसके लिए कोई भी देखभाल करने को तैयार नहीं है या जिसके माता-पिता ने उसे छोड़ दिया है या आत्मसमर्पण कर दिया है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (31) एक अभिभावक को परिभाषित करती है और 2 (42) एक 'अनाथ' बच्चे को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है एक ऐसा बच्चा जिसका कानूनी अभिभावक तैयार नहीं है या उसकी देखभाल करने में असमर्थ है। इसी तरह, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का अध्याय 2, धारा 3 उक्त अधिनियम 2015 के प्रावधानों के प्रशासन में पालन किए जाने वाले सिद्धांतों से संबंधित है और यह आदेश देता है कि सभी निर्णय बच्चे के सर्वोत्तम हित में होने के प्राथमिक विचार और बच्चे को पूरी क्षमता विकसित करने में मदद करने के लिए निर्देशित किए जाने चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे की देखभाल, पालन-पोषण और सुरक्षा के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे को किसी भी नुकसान, दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार आदि के अधीन नहीं किया जाए। कल्याण को बढ़ावा देने, पहचान के विकास को सुविधाजनक बनाने और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की भेद्यता को कम करने के लिए संसाधनों को जुटाया जाना चाहिए। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 38 एक बच्चे को गोद लेने के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया से संबंधित है और यदि 2015 के उक्त अधिनियम की धारा 27 के तहत गठित बाल कल्याण समिति का मानना है कि बच्चा एक अनाथ है जिसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो वह बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करेगी। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 38 की उप-धारा 3 में निर्धारित किया गया है कि यौन उत्पीड़न की शिकार एक अवांछित बच्चे को उपरोक्त समिति द्वारा गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित किया जा सकता है। उक्त मुद्दे की जांच करने के लिए समिति द्वारा निर्धारित समय अवधि बच्चे के जन्म से दो महीने है। 2015 के अधिनियम की धारा 56 गोद लेने के मुद्दे से संबंधित है और 2015 के अधिनियम की धारा 57 भावी गोद लेने वाले माता-पिता/अभिभावक की पात्रता निर्धारित करती है। (13) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम 2016 के नियम 45 में एक सक्षम न्यायालय से गोद लेने का आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है और यह भी प्रावधान किया गया है कि अमरिक सिंह और अन्य बनाम चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र अपने मुख्य सचिव और

343

अन्य (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

(14) अब वर्तमान मामले के तथ्यात्मक पहलू को ध्यान में रखते हुए, यह निर्विवाद है कि जहां तक बच्चे को गोद लेने के लिए याचिकाकर्ता संख्या 4 और 5 की क्षमता का संबंध है, वे विभिन्न कानूनों के तहत निर्धारित आवश्यकता को पूरा करते हैं और बच्चे को गोद लेने के लिए पात्र हैं। विवाद विचित्र हो जाता है और इस न्यायालय के समक्ष केवल इस तथ्य के कारण आया है कि भले ही नाबालिग याचिकाकर्ता संख्या 3 एक अवैध लड़की की माँ होने के नाते उसका स्वाभाविक अभिभावक है, जो कानून द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाने का हकदार और मान्यता प्राप्त है जो नाबालिग के सर्वोत्तम हित में हैं, हालाँकि, हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम, 1956 के तहत, एक माँ/प्राकृतिक अभिभावक पिता की सहमति प्राप्त करने के बाद ही बच्चे को गोद ले सकता है। दस्तावेजों के उप-पंजीयक ने उक्त कारण से और पूरी तरह से हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम, 1956 की धारा 9 (2) पर भरोसा करके और हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, 1956 की धारा 6 (बी) के दायरे को हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम, 1956 की धारा 9 (1) और 9 (4) के साथ-साथ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अनदेखी करते हुए गोद लेने के विलेख को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया। (15) इस प्रकार विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या नाबालिग याचिकाकर्ता संख्या 3, जो एक माँ है, और एक स्वाभाविक 344 है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 (बी) के तहत अभिभावक अपने अवैध बच्चे को गोद लेने के लिए पात्र होगा या नहीं? यह उक्त पृष्ठभूमि में है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का मुद्दा भी आकर्षित होता है, क्योंकि नाबालिग माँ और उसका नाबालिग बच्चा दोनों ही देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले किशोर/बच्चे हैं। याचिकाकर्ता संख्या 3-नाबालिग माँ, जिसका यौन शोषण किया गया है, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के खंड 2 (14) (viii) में आती है और नाबालिग अवैध बच्चा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (1) के तहत 'परित्यक्त बच्चे' की परिभाषा के साथ पठित धारा 2 (14) के खंड (vi) और (vii) के परस्पर क्रिया में आता है, जिसके लिए कोई भी देखभाल करने को तैयार नहीं है और यह भी विचार करते हुए कि 'प्राकृतिक अभिभावक' (नाबालिग याचिकाकर्ता संख्या 3) स्वयं है। नाबालिग अवैध बालिका की देखभाल और सुरक्षा या सुरक्षा या कल्याण प्रदान करने के लिए अयोग्य और अक्षम। यह मानते हुए कि हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, 1956 की धारा 6 (बी) उसकी धारा 6 (ए) के अधीन नहीं है और हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम, 1956 की धारा 9 (1) 'अभिभावक' के अधिकार को मान्यता देती है (जो इस मामले में याचिकाकर्ता संख्या 3 है) कि वह बच्चे को गोद लेने के लिए धारा 9 (4) के अधीन है और उक्त धारा भी हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम, 1956 की धारा 9 (2) के अधीन नहीं है-यह न्यायालय महसूस करता है कि अवैध नाबालिग लड़की की माँ-प्राकृतिक अभिभावक है। उसे उसके उत्पीड़क की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है। कानून का इरादा नाबालिग को उसकी गरिमा, सम्मान और गर्व से बचाने और बचाने के लिए उसे उसके उत्पीड़क के हवाले करने का नहीं होगा और उसके जीवन को सुधारात्मक और प्रतिस्थापन के रास्ते पर लाने के लिए उसकी सहमति का अनुरोध करेगा। इस मामले के आसपास की परिस्थितियों को पूरा करने के लिए वैधानिक जनादेश की अनदेखी करने वाली ऐसी व्याख्या जो हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम, 1956 की धारा 9 (2) को अत्यधिक प्रभाव देगी, न केवल अन्य प्रावधानों की वैधानिक योजना का उल्लंघन करेगी, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से भी प्रभावित होगी। ऊपर से जो वैधानिक निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में पिता की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम, 1956 की धारा 9 (2) को आकर्षित नहीं किया जाएगा और अधिकारियों को हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, 1956 की धारा 6 (बी) को हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम, 1956 की धारा 9 (1) और (4) के साथ पढ़ना चाहिए। इस प्रकार कानून को अवैध बच्चे की मां के अधिकार को मान्यता देनी चाहिए और ऐसे बच्चे के एकमात्र अभिभावक के रूप में उसकी स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। (16) हालाँकि, चूंकि वर्तमान मामले में माँ भी नाबालिग है और एक बच्चे को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, इसलिए इस अदालत ने अमरिक सिंह और अन्य बनाम यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ को अपने मुख्य सचिव के माध्यम से पाया।

345

अन्य (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

(17) अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्थापित होता है कि याचिकाकर्ता संख्या 3 उस तारीख को 13 वर्ष की थी जब वह प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पश्चातापपूर्ण यौन उत्पीड़न के कारण गर्भवती हुई थी और उसके माता-पिता भी एक गुरुद्वारे में सेवाधार के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी वित्तीय स्थिति और पैदा हुए अवैध बच्चे को पालने की क्षमता इस प्रकार सीमित है और बच्चे के सर्वोत्तम हित को कम नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि अपनी बेटी के साथ बलात्कार के कारण एक अवैध बच्चे का पालन-पोषण उस आघात की निरंतर याद दिलाता है और नाबालिग माँ (याचिकाकर्ता संख्या 3) के साथ-साथ बच्चे के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। उक्त बच्चे को एक अवांछित बच्चे की पीड़ा झेलनी पड़ सकती है और बिना किसी गलती के अवमानना और घृणा से निपटना पड़ सकता है। यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता संख्या 3 या यहां तक कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 याचिकाकर्ता संख्या 3 के माता-पिता के रूप में परिस्थितियों में सर्वोत्तम देखभाल और भविष्य के साथ-साथ नाबालिग अवैध बच्चे (आर. एक्स. एक्स. एक्स.) के समग्र विकास के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं हैं, जिसे एक अवैध बच्चे होने के कलंक के साथ अपना जीवन जीना होगा। यह भी स्पष्ट है कि बच्चे का जन्म 02.03.2021 पर हुआ था और उसे 07.06.2021 पर याचिकाकर्ता संख्या 4 और 5 को गोद में दिया गया था, जब वह केवल तीन महीने की थी। निर्विवाद रूप से, उक्त बच्चा तब से याचिकाकर्ता संख्या 4 और 5 के साथ रह रहा है और उन्हें उसके एकमात्र ज्ञात माता-पिता के रूप में पहचानता है। (18) यह भी सामने आया है कि कथित प्राथमिकी में प्रतिवादी संख्या 4 का अभियोजन फास्ट ट्रैक अदालत के समक्ष 12.03.2021 पर शुरू किया गया था, और बच्चे के पहले ही 02.03.2021 पर जन्म लेने के बाद। याचिकाकर्ता संख्या 3 की गर्भावस्था का तथ्य प्रतिवादी संख्या 4 को पूरी तरह से ज्ञात था और उक्त पहलू को फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष साक्ष्य के दौरान भी सामने लाया गया था। 02.03.2021 (फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले में गलत तरीके से 03.03.2021 के रूप में उल्लिखित) पर जन्म लेने वाली बच्ची का रक्त प्रमाणीकरण प्रपत्र Ex.P4 है जिसे परीक्षण के दौरान प्रस्तुत किया गया था। अतः, प्रत्यर्थी 346

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

नं. 4 के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों को प्रतिवादी नं. 4 द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न के कारण आर. एक्स. एक्स. एक्स. के जन्म के बारे में पूरी तरह से पता था। मुकदमे के दौरान प्रस्तुत की गई सी. एफ. एस. एल. रिपोर्ट Ex.P22 यह भी स्थापित करती है कि प्रतिवादी संख्या 4-आरोपी लड़की का जैविक पिता था जिसका नाम आर. एक्स. एक्स. एक्स है जो पीड़ित (याचिकाकर्ता संख्या 3) से पैदा हुई थी। फास्ट ट्रैक अदालत के समक्ष कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा लिया गया बचाव इस आशय का था कि उसके और याचिकाकर्ता संख्या 3 (पीड़ित) के बीच संबंध सहमति से था और बलपूर्वक नहीं था। इसलिए उसे इसके लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। 13 वर्ष की आयु के नाबालिग याचिकाकर्ता संख्या 3 के शारीरिक हमले और परिणामी गर्भाधान के पहलू के रूप में, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दर्ज किया कि भले ही पीड़िता और आरोपी के बीच सहमति से संबंध की याचिका को बहस के लिए स्वीकार किया जाता है, फिर भी, 13 वर्ष की नाबालिग होने के कारण, वह प्रतिवादी संख्या 4 के साथ यौन संबंध विकसित करने के लिए कोई वैध सहमति देने में सक्षम नहीं थी। सजा की मात्रा पर आगे और/या सुनवाई के समय, नाबालिग आर. एक्स. एक्स. एक्स. के प्रतिवादी No.4-father ने नाबालिग बच्चे का समर्थन करने या उसे स्वीकार करने या उसकी देखभाल और सुरक्षा करने के लिए कोई झुकाव या इच्छा नहीं दिखाई। हालांकि, यह अनुरोध किया गया था कि वह खुद को बनाए रखने की क्षमता में नहीं है और उसके प्रति नरमी दिखाई जा सकती है। दो साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 4 या उसके परिवार के सदस्यों ने नाबालिग बच्चे की देखभाल करने या उस पर कोई दावा करने के लिए कोई झुकाव या प्रयास नहीं दिखाया, जिसके आधार पर यह माना जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 4 को उक्त बच्चे के पालन-पोषण, सुरक्षा, देखभाल और सुरक्षा में कोई रुचि है। (19) सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय ने बच्चे के सर्वोत्तम हित और याचिकाकर्ता संख्या 4 और 5 की बच्चे को गोद लेने की क्षमता की जांच करने के लिए समाज कल्याण विभाग, यू. टी. चंडीगढ़ से दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से एक रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद जिला बाल संरक्षण इकाई, मोहाली ने जिला बाल संरक्षण अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उसे प्रस्तुत किया। उक्त रिपोर्ट का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

“उपरोक्त उद्धृत विषय के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं की सामाजिक/वित्तीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने और इस बारे में सुझाव देने के लिए कि क्या गोद लेने में बच्चे को देने की आवश्यकताओं को याचिकाकर्ताओं के सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन पर पूरा किया जाएगा, गुरचरण सिंह विर्दी और सुश्री किरण विर्दी के निवास पर 11-12-2023 पर दौरा किया गया था।

 याचिकाकर्ता सं। 4 और 5 अपने स्वामित्व में हैं और अमरीक सिंह और अन्य बनाम चंडीगढ़ के संघ क्षेत्र में 9 मैरी के घर में रहते हैं।

347

अन्य (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

चरण-10 मोहाली। यह एक दो मंजिला घर है और याचिकाकर्ताओं द्वारा केवल अपने परिवार के लिए उपयोग किया जाता है यानी दोनों मंजिलों का उपयोग परिवार द्वारा किया जाता है।

 दोनों याचिकाकर्ता सं। 4 और 5 खुश और स्वस्थ दिमाग वाले जोड़े के रूप में सामने आते हैं।  उपरोक्त को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता नं। 4 और 5 उच्च वित्तीय स्तर के समाज से संबंधित हैं, आर्थिक/आर्थिक रूप से वे अपने बच्चों को एक परिपूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए बहुत मजबूत हैं। 348 की सभी आवश्यकताएँ

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

बच्चे/बच्चों से याचिकाकर्ता संख्या 4 और 5 आसानी से मिल सकते हैं।

 यह आपकी जानकारी और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए है।

कृपया करें। ”

(20) जिला बाल संरक्षण इकाई, मोहाली के साथ-साथ जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने भी याचिकाकर्ता संख्या 4 और 5 को उक्त बच्चे को गोद लेने के कारण बच्चे के सर्वोत्तम हित से समझौता किए जाने के संबंध में कोई आशंका नहीं जताई। इसके विपरीत, यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता संख्या 4 और 5 (गोद लेने वाले माता-पिता) द्वारा बच्चे की देखभाल की जा रही है और वे नाबालिग आर. एक्स. एक्स. एक्स. सहित अपने सभी बच्चों की अच्छी देखभाल कर रहे हैं। निदेशक, समाज कल्याण, महिला और बाल विकास, यू. टी. चंडीगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त होने और जिला बाल संरक्षण अधिकारी, एस. ए. एस. नगर (मोहाली) द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह समीचीन और उपयुक्त माना जाता है कि बाल कल्याण समिति की विस्तृत प्रक्रिया और रिपोर्ट को छूट दी जाए। इस न्यायालय को इस समय कोई आशंका नहीं है और वह जिला बाल संरक्षण अधिकारी, एस. ए. एस. नगर (मोहाली) द्वारा प्रस्तुत और विभाग द्वारा भेजी गई रिपोर्ट से संतुष्ट है। विचाराधीन बच्चे यानी आर. एक्स. एक्स. एक्स. को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (42) के साथ खंड 2 (1) के तहत 'अनाथ' बच्चा माना जा सकता है क्योंकि उसका कानूनी अभिभावक इच्छुक नहीं है और बच्चे की देखभाल करने में सक्षम नहीं है। याचिकाकर्ता संख्या 3 अर्थात माँ को हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अनुसार कानून के संचालन द्वारा कानूनी अभिभावक के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, 1956 के प्रावधान भी धारा 9 (5) (आई. ए.) के अनुसार गोद लेने में बच्चे को देने के लिए आवश्यक ऐसे प्रभावी कदम उठाने के लिए एक अभिभावक के अधिकार को मान्यता देते हैं। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 से 3 भी बच्चे की देखभाल करने वाले अभिभावक की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम, 1956 हालांकि गोद लेने को नियंत्रित करने वाला एक क़ानून है, हालाँकि, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 कानून के साथ संघर्ष में या देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता में किशोर/बच्चों के मामलों और चिंताओं से संबंधित है। धारा 38 (3) विशेष रूप से यौन उत्पीड़न से पैदा हुए बच्चों से संबंधित है। उपरोक्त धारा एक गैर-अस्थाई खंड के साथ शुरू होती है जो इसे किसी भी अन्य क़ानून पर एक अति-प्रभावी प्रभाव देती है। इसलिए यह प्रावधान एक विशेष कानून के तहत आएगा और हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम, 1956 को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, जो ऐसे मामले में एक सामान्य कानून होगा।

(21) तथ्यों के कालक्रम से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता संख्या 3 अमरिक सिंह और अन्य बनाम चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र अपने प्रधान सचिव के माध्यम से और

349

अन्य (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

शुरुआत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के तहत गर्भपात की मांग की गई थी, लेकिन भ्रूण की उम्र 33 महीने से अधिक होने के कारण मेडिकल बोर्ड ने गर्भपात की सिफारिश नहीं की थी। इसके बाद भी, याचिकाकर्ता संख्या 3, उसके माता-पिता यानी याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 4 ने नाबालिग बच्चे को बनाए रखने, पालने और पालने के लिए कोई झुकाव नहीं दिखाया है। यह स्थापित करता है कि बाल आर. एक्स. एक्स. एक्स. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 38 (3) को आकर्षित करने वाले यौन हमले की पीड़ित से एक अवांछित बच्चा है। ऐसा मानने के बाद, केवल एक सवाल बचा है कि क्या विचाराधीन बच्चे को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 के तहत गठित बाल कल्याण समिति द्वारा गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित किया गया है या नहीं। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 38 के तहत एक बच्चे को गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है और यह आवश्यक है कि यदि यह स्थापित हो जाता है कि बच्चा या तो अनाथ है या उसके पास देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो समिति द्वारा उक्त बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किया जाएगा। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार 'अनाथ' और 'परित्यक्त' की परिभाषा निश्चित रूप से आर. एक्स. एक्स. एक्स. के मामले की ओर आकर्षित होती है क्योंकि माता-पिता में से कोई भी यानी याचिकाकर्ता संख्या 3 या प्रतिवादी संख्या 4 बच्चे की जिम्मेदारी, देखभाल और सुरक्षा को लेने के लिए तैयार नहीं हैं और इस तरह, उक्त बच्चा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (42) के तहत 'अनाथ' की परिभाषा के अंतर्गत आता है और धारा 2 (1) के तहत 'परित्यक्त बच्चे' के रंग में आता है। 2015 के उक्त अधिनियम का। याचिकाकर्ता संख्या 1-3 ने बच्चे को बनाए रखने या पालने के लिए कोई झुकाव नहीं दिखाया है। बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र होने की घोषणा करने की आवश्यकता केवल बच्चे के माता-पिता/अभिभावक का पता लगाने के प्रयास करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक होगी कि बच्चा अनाथ है या परित्यक्त बच्चा है या नहीं। चूंकि उक्त पहलू अब विवाद में नहीं है, इसलिए समिति से रिपोर्ट मांगने और/या घोषणा करने के लिए मामले को खारिज करना केवल एक औपचारिकता होगी जिससे वर्तमान मामले में नौकरशाही में देरी होगी। इसके अलावा, 2 साल से कम उम्र के बच्चे के मामले में रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता 2 महीने की अवधि के भीतर और अन्य मामले में 4 महीने की अवधि के भीतर है। उस समय के दौरान बहुत लंबा समय बीत चुका है जब यह मामला इस न्यायालय के समक्ष लंबित है और अधिकारियों को तथ्यों से अवगत कराया गया था। (22) मामले की विषम परिस्थितियों में और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पूरी तथ्यात्मक कानूनी पृष्ठभूमि निर्विवाद है और 350

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

यह भी विचार करते हुए कि न तो प्रतिवादी संख्या 4 और न ही याचिकाकर्ता संख्या 1 से 3 आर. एक्स. एक्स. की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं या उन्होंने कभी भी उक्त बच्चे की अभिरक्षा की मांग के लिए कोई दावा नहीं किया है, इस न्यायालय का विचार है कि बाल कल्याण समिति से घोषणा की आवश्यकता केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता है और इससे किसी भी बड़े हित के उप-लाभ की संभावना नहीं है। परिस्थितियों की समग्रता में, यह न्यायालय मानता है कि बच्चा "आरएक्सएक्सएक्स" कानूनी रूप से गोद लेने के लिए स्वतंत्र है। (23) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अध्याय VII के तहत निर्धारित मापदंडों और पक्षों की संबंधित पात्रता और बाल कल्याण समिति के साथ-साथ गोद लेने के विनियम, 2017 से प्राप्त रिपोर्ट के साथ दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि बच्चे को गोद लेने में कोई कानूनी बाधा या निषेध नहीं है। (24) ऐसा अभिनिर्धारित करते हुए, यह न्यायालय वर्तमान मामले की विशिष्ट प्रकृति के साथ-साथ याचिकाकर्ता संख्या 1 से 3 की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और इस तथ्य से भी पूरी तरह अवगत है कि नाबालिग आर. एक्स. एक्स. याचिकाकर्ता संख्या 3 पर किए गए यौन उत्पीड़न की एक अवांछित संतान है, जो अब 15 वर्ष की हो गई है और अपनी पढ़ाई कर रही है। याचिकाकर्ता संख्या 1 से 3 तक गुरुद्वारे में एक कमरे में रह रहे हैं और याचिकाकर्ता संख्या 4 और 5 की तुलना में उनके पास कोई बेहतर सुविधा प्रदान करने का कोई साधन नहीं है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता संख्या 1 से 3 तक द्वारा बच्चे का पालन-पोषण न केवल याचिकाकर्ता संख्या 3 के लिए बल्कि नाबालिग के लिए भी कलंकित और दर्दनाक होगा। एक अवांछित बच्चे के लिए तिरस्कार और अल्प वित्तीय संसाधनों के तहत लाए जाने का वातावरण निश्चित रूप से बच्चे की भविष्य की संभावनाओं, मानसिक स्थिरता और कल्याण के लिए स्वस्थ नहीं होगा और उक्त बच्चे के समग्र विकास को भी कम नहीं करेगा। इस प्रकार इस न्यायालय पर यह जांच करने का भार है कि वर्तमान मामले में नाबालिग बच्चे की भलाई के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, जहां जैविक माता-पिता अपनी उम्र, सामाजिक परिस्थितियों या जेल में निरंतर कारावास के कारण अयोग्य और अक्षम हैं और जिन्होंने अपने स्पष्ट या निहित कार्य और/या आचरण से बच्चे की देखभाल करने की कोई इच्छा व्यक्त नहीं की है। इसके अलावा, नाबालिग बच्चा 07.06.2021 से याचिकाकर्ता संख्या 4 और 5 के साथ रह रहा है और ढाई साल से अधिक उम्र का है और याचिकाकर्ता संख्या 4 और 5 के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उसके माता-पिता के रूप में मान्यता नहीं देगा। इस स्तर पर याचिकाकर्ता संख्या 4 और 5 से नाबालिग बच्चे को अलग करने का कोई भी आदेश या निर्देश उक्त नाबालिग बच्चे के लिए भी दर्दनाक होने की संभावना है। अदालत ने यह भी देखा है कि याचिकाकर्ता संख्या 4 और 5 ने स्वेच्छा से बिना किसी रोक-टोक के लड़की को गोद लेने के लिए स्वेच्छा से काम किया है और उन्होंने यह सुझाव देने के लिए प्रासंगिक चिकित्सा साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं कि अमरीक सिंह और अन्य बनाम चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र अपने मुख्य सचिव के माध्यम से और

351

अन्य (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

(26) चूँकि बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने के मुद्दे की पहले ही जांच की जा चुकी है और फैसला सुनाया जा चुका है, मेरी राय है कि वर्तमान याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए। (27) प्रत्यर्थी संख्या 3-दस्तावेजों के उप-पंजीयक, चंडीगढ़ को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता संख्या 4 और 5 को गोद लेने में नाबालिग आर. एक्स. एक्स., जिसका जन्म आई. डी. 2 पर हुआ था, को जैविक पिता से सहमति की कमी और/या देरी के संबंध में कोई और आपत्ति (ओं) उठाए बिना और पंजीकरण के लिए उक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत किए बिना समयबद्ध तरीके से गोद लेने के लिए दिनांकित आई. डी. 1 को पंजीकृत करे।

(28) याचिका को तदनुसार अनुमति दी जाती है।

विद्वान संपादक-संजीव शर्मा